

ई -11012/1/2022-डीओएफ़ [21114]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
मत्स्यपालन विभाग
Department of Fisheries

24/04/2023

कार्यालय आदेश /Office Order

<p>मत्स्यपालन विभाग के प्रशा. I, प्रशा. II/ सामान्य अनुभाग, प्रशा. V अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और संसदीय कार्य अनुभाग में कार्यरत 80% से अधिक अधिकारियों और कर्मियों को राजभाषा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और इन अनुभागों में कार्यरत कई अधिकारी/कर्मि प्रवीण भी हैं। इसके अलावा, मात्स्यिकी सांख्यिकी, मात्स्यिकी वित्त, सोशल मीडिया और आईटी, आरएंड आई, आरटीआई एवं मात्स्यिकी का तकनीकी पक्ष देखने वाले 80% से अधिक अधिकारी/कर्मि भी राजभाषा का अपेक्षानुसार ज्ञान रखते हैं। अतः उपर्युक्त वर्णित अनुभागों/ अधिकारियों/कर्मियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य/पत्राचार आदि या तो केवल राजभाषा हिन्दी में करें अथवा द्विभाषी रूप से करें। यह भी आदेश दिया जाता है कि ई-फाइलों में कम से कम 75% टिप्पण (नोटिंग) राजभाषा हिन्दी में करें। साथ ही, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करें जिसके अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना है।</p>	<p>More than 80% Officers and employees of DoF working in Admn I, Admn II/ General Section, Admin. V Section, Cash Section and Parliamentary Affairs Section have working knowledge of Official Language Hindi and many officers/employees working in these sections are also proficient. Apart from this, more than 80% officers/employees dealing with Fisheries Statistics, Fisheries Finance, Social Media and IT R&I, RTI and the Fisheries Technical side also have requisite knowledge of official language. Therefore, it is ordered to the above mentioned sections/officers/personnel that they should do maximum work/correspondence etc. either only in Official Language Hindi or do it bilingually. It is also ordered that at least 75% noting in e-files should be done in official language Hindi. Also, ensure compliance of Rule 5 of the Official Language Rules, 1976, according to which letters that are received in Central Government in Hindi language must be mandatorily replied to only in Hindi.</p>
---	--

(सागर मेहरा)/(Sagar Mehra)

संयुक्त सचिव (प्रशा.)/Joint Secretary (Admn.)

वितरण : प्रशा. I, प्रशा. II/ सामान्य अनुभाग, प्रशा. V अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और संसदीय कार्य अनुभाग तथा मात्स्यिकी सांख्यिकी, मात्स्यिकी वित्त, सोशल मीडिया और आईटी, आरएंड आई, आरटीआई एवं मात्स्यिकी का तकनीकी पक्ष देखने वाले संबन्धित अधिकारी/कर्मि

Circulation: Admn I, Admn II/ General Section, Admin. V Section, Cash Section and Parliamentary Affairs Section, and concerned Officers/Employees in Fisheries Statistics, Fisheries Finance, social media and IT, R&I, RTI and the Fisheries Technical Side.